

# विशेष विवाह अधिनियम

फार्म :-5

देखिये नियम 8(1)

विशेष विवाह अधिनियम 1954 (43.1954) को धारा 15 के

अधिन

विवाह के लिए आवेदन

1. पक्षों के नाम श्री उम्न  
सुश्री वधु  
पिता
2. उम्न या जन्म की तिथि: वर की :- वधु की :-
3. स्थायी निवास स्थान, यदि हो :-
4. वर्तमान निवास स्थान :-
5. विवाह से पहले दोनों पक्षों का संबंध, यदि हो :-
6. हम दोनों श्री वर और सुश्री  
वधु के बीच तिथि को स्थान

में विवाह संपन्न हुआ और हम दोनों घोषणा करते हैं कि उक्त तिथि से हम दोनों पति और पत्नी के रूप में सह वास कर रहे हैं ।

इसके द्वारा हम दोनों घोषणा करते हैं :-

1 :- हम दोनों में से किसी को भी इस आवेदन पत्र में उल्लेखित तिथि को एक से अधिक पति या पत्नी नहीं है ।

2 :- हम दोनों में से कोई भी मूढ या उन्नत नहीं है ।

3 :- हम दोनों इस आवेदन की तिथि को इक्कीस का आयु पूरी कर चुके हैं ।

4 :- हम दोनों एक दुसरे के वर्जित सम्बन्ध कोटी के भीतर नहीं पडते है । हम दोनों का विवाह अधिनियम 1954 (43.1954) के आरम्भ के पहले ही सम्पन्न हो चुका है और यद्यपि उर्पयुल अधिनियम के अनुसार हम दोनों एक दुसरे से वर्जित सम्बन्ध कोटी के भीतर पडते है । फिर भी जिस विधि सम प्रभाव आधार व्यवहार से हम दोनों शासित है उसके अनुसार हम दोनों के बीच विवाह अनुमत है ।

5 :- हम दोनों विवाह पदाधिकारी के अधिकृत क्षेत्र के भीतर स्थान में इस आवेदन की तिथि से कम से कम तीस दिन पहले से निवास कर रहे है ।

हम दोनों घोषणा करते है कि जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है कि उर्पयुल विवरण सत्य है ।

टिप्पणी :- उपर का जो अंश लागू न हो उसे काट दें ।

स्थान :- हस्ताक्षर :-

तिथि :- हस्ताक्षर :-

गवाह :-

1.

2.

3.